

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 1972/अषाढ़ 28, 1894
No. 191] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 1972/ASADHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 19th July 1972

G.S.R. 344(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3C) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, to amend the Sugar (Price Determination) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once

2. In Schedule I to the Sugar (Price Determination) Order, 1972 for the item "East U.P." and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"East U.P. excepting the area in which Lakshmi Devi Sugar Mills Private Ltd. Chhitauni is situated.	148.34	147.19	146.64	147.34	146.34	145.84
Area in which Lakshmi Devi Sugar Mills Private Ltd. Chhitauni is situated in East U.P.	144.43	143.28	142.73	143.43	142.43	141.93

[No. 2-2/72-S.Py.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(साख विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 344(ई)—आवश्यक वस्तु/शर्करा—वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) यह आदेश शर्करा (कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शर्करा (कीमत अवधारण) आदेश, 1972 की अनुसूची 1 में मद "पूर्वी उत्तर प्रदेश" और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"पूर्वी उत्तर प्रदेश, उस क्षेत्र को छोड़कर जिसमें लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, छितौनी, स्थित है।	148.34	147.19	146.64	147.34	146.34	145.84

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जिसमें लखमी देवी शूगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड छितौनी, स्थित है ।						
	144.43	143.28	142.73	143.43	152.43	141 93''

[सं० 2-2/72-एस० पी० वाई०]

एस० बी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

